उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्याः– /2018/19(120)/XXVII(8)/2012
देहरादूनः: दिनांक 19 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष, 2005) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35 की उपधारा (6) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए भी कर निर्धारण वर्ष 2016–2017 से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी दिनांक 30.06.2018 तक बिना विलम्ब शुल्क के जमा की जा सकेगी। दिनांक 30.06.2018 के उपरान्त अधिनियम एवं नियम में दिए गए प्राविधानों के अनुसार विलम्ब शुल्क देय होगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

सं0 351 /2018/19(120)/XXVII(8)/2012, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2– निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– एन0आई0सी0।
6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

अनुभाग आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त वाणिज्य कर उत्तराखण्ड, देहरादून

652
20/04/2018

Karuna/notification

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No351/2018/19(120)/ XXVII(8)/2012, Dated 19 April, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No351/2018/19(120)/XXVII(8)/2012
Dehradun :Dated 19April, 2018

Notification

Where as the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 23 and Sub-section (6) of Section 35 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act. 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), notwithstanding anything contained in Rule 11 of the Uttarakhand Value Added Tax Ruleds, 2005 the Governor is pleased to declare that the annual return related to the tax assessment year 2016-17 may be filed upto 30.06.2018 without any late fee. After 30.06.2018, late fee shall be payable as per provision of Act and Rules.

(Amit Singh Negi)
Secretary.

Karuna/notification